कार्यालय,
[illegible] जिला परिषद,
[illegible]

संख्या:- [illegible]/परिषद सम्बन्धित/2025/[illegible] [illegible] दिनांक: [illegible]-[illegible]-2025

—कार्यालय ज्ञाप—

[illegible] जिला परिषद, [illegible] / [illegible] कार्यालय [illegible] द्वारा [illegible] वित्त आयोग [illegible] 2025-26 हेतु [illegible] [illegible] जिला परिषद [illegible] को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रतिभिक जिला परिषद, [illegible] सरकार के सम्बन्धित/सम्बन्धित विभाग प्रदान किए जाने हेतु [illegible] [illegible] 14-8-2025 को अपना प्रतिभिक जिला परिषद, [illegible] सरकार की [illegible] में [illegible] [illegible] किये [illegible] हुई। [illegible] में [illegible] द्वारा वित्त आयोग 2025-26 हेतु [illegible] [illegible] को [illegible]/[illegible] में [illegible] [illegible] को [illegible] विभाग/[illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2025-26 हेतु [illegible] [illegible] किये जाने का निर्णय लिया गया।

[illegible] के अनुसरण में सम्बन्धित [illegible] की [illegible] के [illegible] में [illegible] द्वारा प्रतिभिक [illegible] [illegible] [illegible] में [illegible] [illegible] को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] विभाग/विभाग [illegible] [illegible] [illegible] 2025-26 हेतु [illegible] [illegible] किये जाने का निर्णय लिया गया।

[illegible] के पूर्व में सम्बन्ध [illegible] [illegible] की [illegible] विभागों द्वारा वित्त आयोग 2025-26 हेतु [illegible] में [illegible] पूर्व [illegible] की [illegible] [illegible] में [illegible] किये जाने हेतु [illegible] किया गया है, के [illegible] में [illegible] द्वारा विभाग-विभाग किया गया एवं वित्त आयोग 2025-26 हेतु [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] के अनुसरण [illegible] के वित्त आयोग 2025-26 हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।

विभाग [illegible] की [illegible] सम्बन्धित [illegible] की [illegible] के लिये [illegible] [illegible] के अनुसरण में जिला [illegible] की प्रतिभिक जिला परिषद, [illegible] के [illegible] द्वारा वित्त आयोग 2025-26 हेतु [illegible] [illegible] में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हेतु सम्बन्धित विभाग प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	[illegible]	[illegible] का नाम	[illegible] का नाम	[illegible]/[illegible] द्वारा वित्त आयोग 2025-26 में अनुमोदित [illegible] [illegible]	[illegible]/[illegible] [illegible] द्वारा वित्त आयोग 2025-26 में अनुमोदित [illegible] [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] जिला परिषद [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]

सम्बन्धित हेतु शर्तें

- ✓ [illegible]/[illegible] द्वारा [illegible] की [illegible] की पूर्ति [illegible] [illegible] [illegible]।
- ✓ [illegible] [illegible] प्रतिभिक जिला परिषद [illegible] [illegible] प्रतिभिक जिला परिषद [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

भारतीय

प्राविधिक शिक्षा परिषद

[illegible]

संख्या:- प्राविशिपरिषद संस्थान/2021-2022 **लखनऊ: दिनांक: 06/08/2021**

अनुमोदन पत्र

प्राविधिक पाठ्यक्रम (सम्बन्धित) नियम परिषद, नई दिल्ली कार्यालय अधिकारियों, प्राविधिक, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु विभागीय प्राविधिक पाठ्यक्रम संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ में संस्थान/संस्थान नियमन प्रदान किए जाने हेतु दिनांक [illegible] को परिषद कार्यालय में संस्थान समिति की बैठक तथा पुनः बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को संस्थान/नई में संचालित संस्थाओं को संस्थान विस्तार, पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि आदि अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु संस्थान/संस्थान नियमन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

संस्थान समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में नियम संख्या की प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित संस्थाओं के अतिरिक्त पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता वृद्धि आदि प्रदान हेतु संस्थान नियमन प्रदान की जाती है:-

संस्थान का नाम एवं पता : AZIMAL POLYTECHNIC , COLLEGE MAJHOLA, DUDDHI SONBHADRA.

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एन0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
2	CIVIL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60

संस्थान हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एन0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1962, शैक्षिक विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन समान त्रैमासिक किश्तों हेतु रू0 30,000.00, प्रतिवर्ष, दो समान वार्षिक किश्तों हेतु रू0 40,000.00, प्रतिवर्ष एवं एक सत्र दो समान त्रैमासिक किश्तों (दो समान वार्षिक किश्तों) पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रू0 25,000.00, प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश आवेदकों से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदकों से शुल्क के अलावा ही अन्य/अन्य पद संस्था द्वारा निर्गत किये जाने वाले आवश्यकतानुसार उपयोगी होंगे, जैसे अनुदान कार्यालयों विभाग तथा आवासीय शोध0 समिति निर्धारण समिति द्वारा पारित सत्र 2021-22 हेतु समिति का पुनर्निर्धारण किया जाना है, दो समिति की स्वीकारता दी जानी होगी।
- ✓ संस्था को उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा परिषदीय तथा उत्तर परिषदीय संस्थाओं को समकक्ष किया जाना विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संचालित प्रवेश परिषद परिषद द्वारा समयांतर शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या - प्राशिप/सचिव सम्बद्धता/2022/7817 **लखनऊ: दिनांक 30/05/2022**

आदेशात्मक ज्ञाप

[illegible]

[illegible]

संस्था का कोड एवं नाम : [illegible] POLYTECHNIC			
क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/पीसीआई/सीओए/एनसीटीई द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	CIVIL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]